[2021] 11 एस.सी.आर. 798

मैसर्स विजेता कंस्ट्रक्शन

बनाम

मैसर्स इंडस स्मेल्टर्स लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील संख्या 5934/2021)

सितम्बर 23, 2021

[एम आर शाह और ए एस बोपन्ना, न्यायमूर्ति]

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 - मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 34 - प्रत्यर्थी का मामला कि उसने अपीलार्थी को रु. 2,44,92,846/- मूल्य के टीएमटी बार की आपूर्ति की, जिसमें से उसे रु. 1,24,50,000/- प्राप्त हुए - यह आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी ने शेष राशि का भुगतान नहीं किया था - प्रत्यर्थी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सुविधा परिषद के अध्यक्ष से संपर्क किया - सुविधा परिषद ने यह देखते हुए कार्यवाही बंद कर दी कि सुविधा परिषद का गठन एक सीमित उद्देश्य, अधिकार क्षेत्र के साथ किया गया था और इसके पास चुनौती दिए गए दस्तावेज़ के बारे में जांच करने, साक्ष्य लेने और सच्चाई तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था - प्रत्यर्थी द्वारा लिखित याचिका - उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सुविधा परिषद द्वारा पारित आदेश को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अधिनियम की धारा 18 के तहत एक अधिनिर्णय कहा जा सकता है और मध्यस्थता अधिनियम का प्रावधान विवाद पर लागू होगा और ऐसा आदेश 1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत अपील के लिए उत्तरदायी होगा - अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः यदि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 द्वारा शासित पक्षों के बीच कोई विवाद है, तो उक्त विवाद को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 18 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जाना है - धारा 18 की उपधारा (2) के अनुसार, उपधारा (1) के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर परिषद् को या तो परिषद् द्वारा ही सुलह के माध्यम से विवाद का समाधान करना होगा या सुलह करने के लिए ऐसी संस्था या केन्द्र को निर्देश देकर वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था या केन्द्र की सहायता लेनी होगी और माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 65 से 81 के उपबंध ऐसे विवाद पर ऐसे लागू होंगे मानो सुलह माध्यस्थम् अधिनियम के भाग-3 के

अधीन आरंभ किया गया था - यदि शुरू किया गया सुलह सफल नहीं होता है, तो यह पक्षों के बीच किसी भी समझौते के बिना समाप्त हो जाएगा, परिषद या तो स्वयं मध्यस्थता के लिए विवाद उठाएगी या इसे मध्यस्थता के लिए एडीआर सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी संस्थान या केंद्र को भेजेगी - तत्काल मामले में, सुविधा परिषद ने प्रक्रिया का पालन नहीं किया है जैसा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 18 के तहत पालन किया जाना आवश्यक था, जिसे मध्यस्थता अधिनियम की धारा 65 से 81 के साथ पढ़ा जाता है - एक बार सुलह विफल होने के बाद, मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू हो जाती है और मध्यस्थ के रूप में परिषद के पास मध्यस्थ की सभी शक्तियां होंगी जो मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपलब्ध हैं - हालांकि, ऐसी किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया - इसलिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रक्रिया का पालन करने के लिए मामला सुविधा परिषद को प्रेषित किया जाता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5934/2021।

रिट याचिका संख्या 418/2012 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दिनांक 12.03.2012 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता सुश्री आकांक्षा सिसोदिया, अनूप जैन।

नितिन गौर, रंजीत कुमार शर्मा, प्रत्यार्थियो के अधिवक्ता ।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

एम. आर. शाह, न्यायमूर्त ।

देरी को माफ कर दिया।

अनुमति प्रदान की गई।

1. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा बिलासपुर में दिनांक 12.03.2012 को रिट याचिका (ग) 2012 की सं. 418 में पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (जिसे इसके पश्चात् माध्यस्थम अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 34 के अधीन मूल याचिकाकर्ता को उपलब्ध उपचार की दृष्टि से उक्त रिट याचिका को विचारणीय नहीं होने के रूप में खारिज कर दिया है, मूल प्रत्यर्थी सं. 1 ने वर्तमान सिविल अपील को प्राथमिकता दी है।

2. कि पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ जिसे हल नहीं किया जा सका। इसमें प्रत्यर्थी की ओर से मामला यह था कि उसने अपीलार्थी को 2,44,92,846/- रुपये मूल्य के टीएमटी बार की आपूर्ति की, जिसमें से उसे 1,24,50,000/- रुपये प्राप्त हुए। अपीलार्थी ने शेष राशि का भुगतान नहीं किया था, इसलिए प्रत्यर्थी आपूर्तिकर्ता होने के नाते लघु उद्योगों के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (इसके बाद सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत गठित अध्यक्ष, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सुविधा परिषद (इसके बाद सुविधा परिषद के रूप में संदर्भित) से संपर्क किया।

3. दिनांक 10.01.2012 के आदेश द्वारा सुविधा परिषद ने यह मत व्यक्त करते हुए उक्त कार्यवाहियों को बंद कर दिया कि सुविधा परिषद का गठन सीमित उद्देश्य और अधिकारिता के साथ किया गया है और सुविधा परिषद को पूरी तरह से जांच करने और साक्ष्य लेने और चुनौती दिए गए दस्तावेज़ के बारे में सच्चाई तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सुविधा परिषद ने यह भी कहा कि पक्षकार सक्षम अदालत के समक्ष जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

4. दिनांक 10.01.2012 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, प्रतिवादी ने बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के समक्ष 2012 की रिट याचिका (सी) संख्या 418 को प्राथमिकता दी। आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि आवेदन को अस्वीकार करने वाले सुविधा परिषद द्वारा पारित आदेश को सूक्ष्म लघु और

मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 18 के तहत एक अधिनिर्णय कहा जा सकता है और धारा 18 (2) और (3) के अनुसार मध्यस्थता अधिनियम का प्रावधान विवाद पर लागू होगा जैसे कि मध्यस्थता सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के संदर्भित मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में थी और इसलिए ऐसा आदेश जिला न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अपील के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार आक्षेपित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने सुविधा परिषद द्वारा दिनांक 10.01.2012 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है।

5. प्रत्यर्थी द्वारा यहां प्रस्तुत रिट याचिका को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, हालांकि यह अभिनिर्धारित करते हुए कि आवेदन को अस्वीकार करने वाले सुविधा परिषद द्वारा पारित आदेश को एक अधिनिर्णय कहा जा सकता है और इसलिए मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विवाद पर लागू होगा जैसे कि मध्यस्थता मध्यस्थता अधिनियम की धारा (7) की उप-धारा (1) के निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में थी और इसलिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत ऐसे आदेश के खिलाफ अपील बनाए रखने योग्य होगी, मूल प्रत्यर्थी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित सुविधा परिषद के आदेश को एक अधिनिर्णय नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ऐसे आदेश द्वारा सुविधा परिषद ने विवाद का निर्णायक रूप से निपटारा नहीं किया और आवेदन को केवल अधिकार क्षेत्र के आधार पर और इस आधार पर खारिज कर दिया कि सुविधा परिषद को पूरी तरह से जांच करने और साक्ष्य लेने और चुनौती दिए गए दस्तावेज़ के बारे में सच्चाई का फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

6.1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित सुविधा परिषद के आदेश को एक अधिनिर्णय नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ऐसे आदेश द्वारा सुविधा परिषद ने विवाद का निर्णायक रूप से

निपटारा नहीं किया और आवेदन को केवल अधिकार क्षेत्र के आधार पर और इस आधार पर खारिज कर दिया कि सुविधा परिषद को पूरी तरह से जांच करने और साक्ष्य लेने और चुनौती दिए गए दस्तावेज़ के बारे में सच्चाई का फैसला करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

7. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित हुए विपरीत विद्वान अभिवक्ता के अनुसार-मूल आवेदक ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि आवेदन को अस्वीकार करने वाले सुविधा परिषद द्वारा पारित आदेश को " अधिनिर्णय " कहा जा सकता है और इसलिए सुविधा परिषद के समक्ष दावा याचिका/आवेदन को अस्वीकार करने के इस तरह के आदेश को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत जिला अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सकती है।

7.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार सुविधा परिषद का यह कहना उचित नहीं था कि उसके पास पूरी तरह से जांच करने और साक्ष्य लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और सुविधा परिषद का गठन सीमित उद्देश्य और अधिकार क्षेत्र के साथ किया गया है। मध्यस्थता अधिनियम की धारा 27 पर भारी निर्भरता रखी गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सुविधा परिषद के पास साक्ष्य लेने सहित मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के तहत मध्यस्थ के लिए उपलब्ध सभी अधिकार क्षेत्र हैं।

8. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अभिवक्ता को विस्तार से सुना है।

9. शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है और यह विवाद में नहीं है कि पक्ष सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अनुसार यदि पक्षों के बीच कोई विवाद है तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 18 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके विवाद को हल करने की आवश्यकता है। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम एक विशेष अधिनियम होने के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है यदि पक्षों के बीच कोई विवाद है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

विकास अधिनियम की धारा 15 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भुगतान करने के लिए खरीदार के दायित्व का प्रावधान करती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 16 में देय ब्याज का प्रावधान है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 17 आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई किसी भी वस्तु या प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रावधान करती है, खरीदार धारा 16 के तहत प्रदान किए गए ब्याज के साथ राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 18 आपूर्तिकर्ता-सूक्ष्म और लघु उद्यमों और खरीदार के बीच विवाद के समाधान का प्रावधान करती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 19 में आगे यह उपबंध किया गया है कि परिषद् द्वारा स्वयं या किसी संस्था या केंद्र द्वारा वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाले किसी डिक्री, अधिनिर्णय या अन्य आदेश को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन किसी भी न्यायालय द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी (आपूर्तिकर्ता नहीं होने के नाते) डिक्री, अधिनिर्णय या, यथास्थिति, ऐसे न्यायालय द्वारा निर्देशित तरीके से अन्य आदेश के संदर्भ में राशि का पचहत्तर प्रतिशत उसके साथ जमा नहीं कर देता है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 19 की धारा 15 जो हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, निम्नानुसार हैः –

> 15. भुगतान करने के लिए खरीदार की देयता — जहां कोई आपूर्तिकर्ता किसी वस्तु की आपूर्ति करता है या किसी खरीदार को कोई सेवा प्रदान करता है, वहां खरीदार उसके लिए उसके और आपूर्तिकर्ता के बीच लिखित रूप में सहमत तिथि को या उससे पहले या जहां इस संबंध में कोई समझौता नहीं है वहां नियत दिन से पहले भुगतान करेगाः बशर्ते कि किसी भी मामले में आपूर्तिकर्ता और खरीदार के बीच लिखित रूप में सहमत अवधि स्वीकृति के दिन या मानी गई स्वीकृति के दिन से पैंतालीस दिनों से अधिक नहीं होगी।
>
> 16. किस तारीख से और किस दर पर ब्याज देय है — जहां कोई भी खरीदार धारा 15 के तहत अपेक्षित आपूर्तिकर्ता को राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो खरीदार, खरीदार और आपूर्तिकर्ता के बीच किसी भी समझौते में या उस समय लागू किसी भी कानून में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, इसके लिए उत्तरदायी होगा। आपूर्तिकर्ता को उस राशि पर नियत दिन से या, जैसा

भी मामला हो, सहमति तिथि के तुरंत बाद की तारीख से, रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना पर, मासिक आधार के साथ चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करें।

17. देय राशि की वसूली — आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई किसी भी वस्तु या प्रदान की गई सेवाओं के लिए, खरीदार धारा 16 के तहत प्रदान किए गए ब्याज के साथ राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

18. सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद का संदर्भ — (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विवाद का कोई भी पक्ष, धारा 17 के अधीन देय किसी राशि के संबंध में, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद को निर्देश दे सकता है। (2) उपधारा (1) के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर परिषद् या तो स्वयं मामले में सुलह कराएगी या सुलह कराने के लिए ऐसी संस्था या केन्द्र को निर्देश देकर वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था या केन्द्र की सहायता लेगी और माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) की धारा 65 से 81 के उपबंध ऐसे विवाद पर ऐसे लागू होंगे मानो सुलह उस अधिनियम के भाग 3 के अधीन आरंभ की गई हो। (3) जहां उपधारा (2) के अधीन आरंभ किया गया सुलह सफल नहीं होता है और पक्षकारों के बीच किसी समाधान के बिना समाप्त हो जाता है, वहां परिषद् या तो स्वयं विवाद को माध्यस्थम के लिए उठाएगी या ऐसे माध्यस्थम के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था या केंद्र को भेजेगी और माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (2/19966) के उपबंध तब विवाद पर ऐसे लागू होंगे मानो माध्यस्थम उस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट माध्यस्थम करार के अनुसरण में था। (4) तत्काल लागू किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद या वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्र को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित आपूर्तिकर्ता और भारत में कहीं भी स्थित खरीदार के बीच विवाद में इस धारा के तहत मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में कार्य करने की अधिकारिता होगी। (5) इस धारा के तहत किए गए प्रत्येक संदर्भ का निर्णय ऐसा संदर्भ देने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

19. डिक्री, अधिनिर्णय या आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन — स्वयं परिषद् या वैकल्पिक विवाद समाधान सेवाएँ प्रदान करने वाली किसी संस्था या केंद्र द्वारा की गई किसी डिक्री, अधिनिर्णय या अन्य आदेश को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन, जिस पर परिषद् द्वारा निर्देश किया गया है, किसी भी न्यायालय द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी (आपूर्तिकर्ता नहीं होने के नाते) अपने साथ पचहत्तर प्रतिशत जमा नहीं कर देता। डिक्री, अधिनिर्णय या, यथास्थिति, ऐसे न्यायालय द्वारा निर्देशित रीति में अन्य आदेश के संदर्भ में रकम का अनुपातः परंतु डिक्री, अधिनिर्णय या आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन के निपटारे तक, न्यायालय आदेश देगा कि जमा की गई राशि का ऐसा प्रतिशत आपूर्तिकर्ता को, जो वह मामले की परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त समझता है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना आवश्यक समझता है, संदत्त किया जाएगा।

9.1 इसलिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की योजना के अनुसार जब सूक्ष्म और लघु उद्यमों-आपूर्तिकर्ता और खरीदार के बीच कोई विवाद होता है, तो उसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 18 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके हल करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम एक विशेष अधिनियम है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, धारा 15 से 23 के प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून में असंगत होने के बावजूद प्रभावी होंगे। इसलिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 18 का प्रभाव मध्यस्थता अधिनियम (असंगत सीमा तक) सहित फिलहाल लागू किसी भी अन्य कानून पर होगा और इसलिए यदि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम द्वारा शासित पक्षों के बीच कोई विवाद है तो उक्त विवाद को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के माध्यम से ही हल किया जाना है। धारा 18 की उपधारा (1) के अनुसार, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विवाद का कोई भी पक्ष, धारा 17 के अधीन देय किसी राशि के संबंध में, सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद को निर्देश/आवेदन के माध्यम से संपर्क कर सकता है। धारा 18 की उपधारा (2) के अनुसार, उपधारा (1) के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर परिषद को या तो स्वयं परिषद द्वारा सुलह के माध्यम से विवाद का समाधान करना होगा या सुलह करने के लिए ऐसी संस्था या केंद्र को निर्देश देकर वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था या केंद्र की सहायता लेनी होगी और माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 65 से 81 के उपबंध ऐसे विवाद पर ऐसे लागू होंगे मानो सुलह मध्यस्थता अधिनियम के भाग 3 के अधीन आरंभ किया गया था। इस प्रकार सुलह के स्तर पर परिषद्/सुलहकर्ता को माध्यस्थम् अधिनियम की धारा 65 से 81 के उपबंधों को ध्यान में रखना होगा, जो निम्नानुसार हैं :-

“65. सुलहकर्ता को बयान प्रस्तुत करना — (1) सुलहकर्ता, अपनी नियुक्ति पर, प्रत्येक पक्ष से अनुरोध कर सकता है कि वह उसे विवाद की सामान्य प्रकृति और मुद्दे के बिंदुओं का वर्णन करते हुए एक संक्षिप्त लिखित बयान प्रस्तुत करे। प्रत्येक पक्ष ऐसे कथन की एक प्रति दूसरे पक्ष को भेजेगा। (2) सुलहकर्ता प्रत्येक पक्ष से अनुरोध कर सकता है कि वह उसे अपनी स्थिति का एक और लिखित बयान और उसके समर्थन में तथ्यों और आधारों को किसी भी दस्तावेज और अन्य साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करे जो ऐसा पक्ष उचित समझता है। पक्ष इस तरह के बयान, दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की एक प्रति दूसरे पक्ष को भेजेगा। (3) सुलह कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, सुलहकर्ता किसी पक्ष से ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है जो उसे उचित लगे। स्पष्टीकरण — इस धारा में और इस भाग की सभी निम्नलिखित धाराओं में, "सुलहकर्ता" शब्द एकमात्र सुलहकर्ता, दो या तीन सुलहकर्ताओं पर लागू होता है, जैसा भी मामला हो।

66. सुलहकर्ता कुछ अधिनियमों से बाध्य नहीं है — सुलहकर्ता सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1/1872) द्वारा बाध्य नहीं है।

67. सुलहकर्ता की भूमिका — (1) सुलहकर्ता पक्षों को उनके विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के प्रयास में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सहायता करेगा। (2) सुलहकर्ता को निष्पक्षता, निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा, पक्षों के अधिकारों और दायित्वों, संबंधित व्यापार के उपयोग और विवाद के आसपास की परिस्थितियों, जिसमें पक्षों के बीच कोई भी पिछली व्यावसायिक प्रथाएं शामिल हैं, पर विचार किया जाएगा। (3) सुलहकर्ता सुलह की कार्यवाही को इस तरह से संचालित कर सकता है कि वह मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकारों द्वारा व्यक्त की जाने वाली इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें एक पक्ष द्वारा कोई अनुरोध शामिल है कि सुलहकर्ता मौखिक बयान सुनता है, और विवाद के त्वरित निपटान की आवश्यकता है। (4) सुलहकर्ता सुलह कार्यवाही के किसी भी स्तर पर विवाद के निपटारे के लिए प्रस्ताव कर सकता है। इस तरह के प्रस्ताव लिखित रूप में होने की आवश्यकता नहीं है और इसके कारणों के विवरण के साथ होने की आवश्यकता नहीं है।

68. प्रशासनिक सहायता — सुलह की कार्यवाही के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, पक्षकार या सुलहकर्ता पक्षकारों की सहमति से किसी उपयुक्त संस्था या व्यक्ति द्वारा प्रशासनिक सहायता की व्यवस्था कर सकते हैं।

69. सुलहकर्ता और पक्षों के बीच संवाद — (1) सुलहकर्ता पक्षकारों को उनसे मिलने के लिए आमंत्रित कर सकता है या उनके साथ मौखिक या लिखित रूप में संवाद कर सकता है। वह पक्षों से एक साथ या उनमें से प्रत्येक के साथ अलग-अलग मिल सकता है या संवाद कर सकता है। (2) जब तक पक्षकार उस स्थान पर सहमत नहीं होते हैं जहां सुलहकर्ता के साथ बैठकें की जानी हैं, तब तक सुलहकर्ता द्वारा सुलह की कार्यवाही की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के साथ परामर्श करने के बाद ऐसा स्थान निर्धारित किया जाएगा।

70. जानकारी का प्रकटीकरण — जब सुलहकर्ता किसी पक्ष से विवाद से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करता है, तो वह उस जानकारी के सार को दूसरे पक्ष को प्रकट करेगा ताकि दूसरे पक्ष को कोई भी स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर मिल सके जिसे वह उचित समझता हैः बशर्ते कि जब कोई पक्ष सुलहकर्ता को किसी विशिष्ट शर्त के अधीन कोई जानकारी देता है कि उसे गोपनीय रखा जाए, तो सुलहकर्ता उस जानकारी को दूसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगा।

71. सुलहकर्ता के साथ पक्षों का सहयोग — पक्षकार सद्भावना से सुलहकर्ता के साथ सहयोग करेंगे और विशेष रूप से, लिखित सामग्री प्रस्तुत करने, साक्ष्य प्रदान करने और बैठकों में भाग लेने के लिए सुलहकर्ता के अनुरोधों का पालन करने का प्रयास करेंगे।

72. विवाद के समाधान के लिए पक्षों द्वारा सुझाव — प्रत्येक पक्ष, अपनी पहल पर या सुलहकर्ता के निमंत्रण पर, विवाद के निपटारे के लिए सुलहकर्ता के सुझाव प्रस्तुत कर सकता है।

73. निपटान समझौता — (1) जब सुलहकर्ता को यह प्रतीत होता है कि किसी समझौते के ऐसे तत्व मौजूद हैं जो पक्षों को स्वीकार्य हो सकते हैं, तो वह संभावित समझौते की शर्तें तैयार करेगा और उन्हें पक्षकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत करेगा। पक्षों की टिप्पणियों को प्राप्त करने के बाद, सुलहकर्ता ऐसी टिप्पणियों के आलोक में संभावित समझौते की शर्तों में सुधार कर सकता है। (2) यदि पक्ष विवाद के निपटारे पर सहमति पर पहुंचते हैं, तो वे एक लिखित निपटान समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। यदि पक्षों द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो सुलहकर्ता समझौते को तैयार करने में पक्षों की सहायता कर सकता है। (3) जब पक्षकार निपटान समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, तो यह उनके अधीन दावा करने वाले पक्षों और व्यक्तियों पर क्रमशः अंतिम और बाध्यकारी होगा। (4) सुलहकर्ता निपटान समझौते को प्रमाणित करेगा और प्रत्येक पक्ष को इसकी एक प्रति प्रस्तुत करेगा।

74. निपटान समझौते की स्थिति और प्रभाव — निपटान समझौते की वही स्थिति और प्रभाव होगा जैसे कि यह धारा 30 के तहत एक मध्यस्थ अधिकरण द्वारा प्रस्तुत विवाद के सार पर सहमत शर्तों पर एक मध्यस्थ अधिनिर्णय है।

75. गोपनीयता. — फिलहाल लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सुलहकर्ता और पक्षकार सुलह कार्यवाही से संबंधित सभी मामलों को गोपनीय रखेंगे। गोपनीयता का विस्तार निपटान समझौते पर भी होगा, सिवाय इसके कि कार्यान्वयन और प्रवर्तन के उद्देश्यों के लिए इसका प्रकटीकरण आवश्यक हो।

76. सुलह कार्यवाही की समाप्ति — सुलह की कार्यवाही समाप्त कर दी जाएगी — (क) समझौते की तारीख पर पक्षों द्वारा निपटान समझौते पर हस्ताक्षर करके; या (ख) पक्षों के साथ परामर्श के बाद सुलहकर्ता की लिखित घोषणा द्वारा, इस प्रभाव के लिए कि घोषणा की तारीख पर सुलह के आगे के प्रयास अब उचित नहीं हैं; या (ग) सुलहकर्ता को संबोधित पक्षों की लिखित घोषणा द्वारा कि सुलह की कार्यवाही समाप्त कर दी गई है, घोषणा की तारीख को; या (घ) दूसरे पक्ष को एक पक्ष की लिखित घोषणा द्वारा और सुलहकर्ता, यदि नियुक्त किया जाता है, तो इस प्रभाव से कि सुलह की कार्यवाही समाप्त हो जाती है, घोषणा की तारीख को।

77. मध्यस्थता या न्यायिक कार्यवाही का सहारा लें — पक्षकार सुलह कार्यवाहियों के दौरान किसी विवाद के संबंध में, जो सुलह कार्यवाहियों का विषय है, कोई माध्यस्थम या न्यायिक कार्यवाहियां आरंभ नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि कोई पक्षकार माध्यस्थम या न्यायिक कार्यवाहियां आरंभ कर सकता है, जहां उसकी राय में, अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए ऐसी कार्यवाहियां आवश्यक हैं।

78. लागत — (1) सुलह की कार्यवाही की समाप्ति पर, सुलहकर्ता सुलह की लागत तय करेगा और पक्षों को इसकी लिखित सूचना देगा। (2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए "लागत" से संबंधित उचित लागत अभिप्रेत है — (क) पक्षकारों की सहमति से सुलहकर्ता द्वारा अनुरोध किए गए सुलहकर्ता और गवाहों के शुल्क और व्यय; (ख) पक्षों की सहमति से सुलहकर्ता द्वारा अनुरोध की गई कोई विशेषज्ञ सलाह; (ग) धारा 64 और धारा 68 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसार प्रदान की गई कोई सहायता। (घ) सुलह कार्यवाहियों और निपटान समझौते के संबंध में उपगत कोई अन्य व्यय। (3) लागत पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी जब तक कि निपटान समझौते में एक अलग विभाजन का प्रावधान न हो। एक पक्ष द्वारा किए गए अन्य सभी खर्च उस पक्ष द्वारा वहन किए जाएंगे।

79. जमा — (1) सुलहकर्ता प्रत्येक पक्ष को धारा 78 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट लागतों के लिए अग्रिम के रूप में एक समान राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है, जिसकी वह अपेक्षा करता है कि वह खर्च की जाएगी। (2) सुलह की कार्यवाही के दौरान, सुलहकर्ता प्रत्येक पक्ष से समान राशि में पूरक जमा का निर्देश दे सकता है। (3) यदि उपधारा (1) और (2) के अधीन अपेक्षित निक्षेपों का तीस दिनों के भीतर दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है, तो सुलहकर्ता कार्यवाहियों को निलंबित कर सकता है या पक्षों को कार्यवाहियों की समाप्ति की लिखित घोषणा कर सकता है, जो उस घोषणा की तारीख से प्रभावी होगी। (4) सुलह की कार्यवाही की समाप्ति पर, सुलहकर्ता प्राप्त जमाओं के पक्षकारों को लेखा प्रदान करेगा और पक्षकारों को किसी भी अप्रयुक्त शेष राशि को वापस कर देगा।

80. अन्य कार्यवाहियों में सुलहकर्ता की भूमिका — जब तक कि पार्टियों द्वारा अन्यथा सहमति न हो, — (क) सुलहकर्ता किसी विवाद के संबंध में, जो सुलह कार्यवाही का विषय है, किसी मध्यस्थ या न्यायिक कार्यवाही में मध्यस्थ या पक्षकार के प्रतिनिधि या अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा; (ख) सुलहकर्ता को पक्षकारों द्वारा किसी मध्यस्थ या न्यायिक कार्यवाही में गवाह के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

81. अन्य कार्यवाहियों में साक्ष्य की स्वीकार्यता — पक्षकार माध्यस्थम या न्यायिक कार्यवाहियों में साक्ष्य के रूप में भरोसा नहीं करेंगे या पेश नहीं करेंगे, चाहे ऐसी कार्यवाहियां उस विवाद से संबंधित हों या नहीं जो सुलह कार्यवाहियों का विषय है, — (क) विवाद के संभावित समाधान के संबंध में दूसरे पक्ष द्वारा व्यक्त किए गए विचार या सुझाव; (ख) सुलह की कार्यवाही के दौरान दूसरे पक्ष द्वारा की गई स्वीकृति; (ग) सुलहकर्ता द्वारा किए गए प्रस्ताव; (घ) यह तथ्य कि दूसरे पक्ष ने सुलहकर्ता द्वारा किए गए समाधान के प्रस्ताव को स्वीकार करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया था।

9.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन सुलह विफल होने और उप-धारा (2) के अधीन आरंभ सुलह सफल न होने के पश्चात्, सुलह पक्षकारों के बीच किसी समाधान के बिना समाप्त हो जाती है, परिषद या तो स्वयं माध्यस्थम के लिए विवाद उठाएगी या ऐसे माध्यस्थम के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण सेवाएं प्रदान करने वाली किसी संस्था या केंद्र को निर्दिष्ट करेगी और माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंध तब विवाद पर ऐसे लागू होंगे मानो माध्यस्थम उस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट माध्यस्थम करार के अनुसरण में था। इसलिए धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन प्रक्रिया का पालन करने और सुलह विफल होने के बाद ही और

उसके बाद ही मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होती है और उसके बाद मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान तब लागू होंगे।

9.3 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के साथ-साथ मध्यस्थता अधिनियम के तहत उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के आलोक में, सुविधा परिषद द्वारा दिनांक 10.01.2012 को पारित आदेश जो उच्च न्यायालय के समक्ष विषय था, का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। संदर्भ/आवेदन को अस्वीकार/खारिज करने वाले सुविधा परिषद द्वारा पारित आदेश और जिस स्तर पर ऐसा आदेश पारित किया गया था, उससे हमारी राय है कि सुविधा परिषद ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 65 से 81 के साथ पठित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 18 के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है। यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रारंभिक स्तर पर सुविधा परिषद सुलहकर्ता के रूप में कर्तव्य का पालन कर रही थी जिसके लिए धारा 65 से 81 के प्रावधान लागू होंगे। यह सच है कि सुलह के स्तर पर, सुलहकर्ता (सुविधा परिषद) की भूमिका मध्यस्थता अधिनियम की धारा 67 के तहत प्रदान किए गए अपने विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने में पक्षों की सहायता करना है। उस स्तर पर पक्षों को साक्ष्य का नेतृत्व करने की आवश्यकता नहीं होती है और उस स्तर पर सुलहकर्ता की भूमिका पक्षों के बीच विवाद का निर्णय लेने के लिए नहीं है, बल्कि पक्षों के बीच विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (3) के अनुसार एक बार सुलह विफल होने के बाद, मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होती है और सुलह की कार्यवाही समाप्त हो जाती है और उसके बाद सुविधा परिषद या तो स्वयं विवाद को मध्यस्थता के लिए लेगी या इसे किसी भी संस्था या केंद्र को संदर्भित करेगी जो इस तरह के मध्यस्थता के लिए वैकल्पिक विवाद निवारण सेवाएं प्रदान करता है और मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान तब विवाद पर लागू होंगे जैसे कि मध्यस्थता मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) को संदर्भित मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में है। उस स्तर पर और उसके बाद सुविधा परिषद एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगी और मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधान तब विवाद पर लागू होंगे जैसे कि मध्यस्थता मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मध्यस्थता समझौते के अनुसरण में थी, जिसमें सुविधा परिषद या वैकल्पिक विवाद समाधान (वैकल्पिक विवाद निवारण) सेवाएं प्रदान करने वाली किसी भी संस्था या केंद्र द्वारा घोषित अधिनिर्णय के खिलाफ जिला न्यायालय में धारा 34 के तहत अपील शामिल है।

10. वर्तमान मामले में सुविधा परिषद द्वारा ऐसी किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जिसका सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 18 के तहत पालन किया जाना आवश्यक है। यह ध्यान देने योग्य है कि सुविधा परिषद/सुलहकर्ता के समक्ष कार्यवाही सुलह के चरण में

थी। यह सच है कि धारा 18 की उप-धारा (2) के तहत सुलह के स्तर पर, सुलहकर्ता (सुविधा परिषद) को पक्षों को साक्ष्य का नेतृत्व करने और विवाद का निर्णय लेने की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही, यदि सुलह के दौरान या धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन कोई सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हुआ था, तो धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन उपबंधित माध्यस्थम कार्यवाहियां आरंभ की जानी अपेक्षित थीं, जो वर्तमान मामले में आरंभ नहीं की गई हैं। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 18 के अधीन प्रक्रिया का पालन करने के लिए मामले को सुविधा परिषद को प्रेषित किया जाए ताकि सुविधा परिषद द्वारा दिनांक 10.01.2012 को पारित आदेश तथा रिट याचिका संख्या. 418/2012 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जा सके। अधिनियम जिसमें सुविधा परिषद या वैकल्पिक विवाद समाधान (वैकल्पिक विवाद निवारण) सेवाएं प्रदान करने वाले किसी भी संस्थान या केंद्र द्वारा घोषित निर्णय के खिलाफ जिला न्यायालय में धारा 34 के तहत अपील शामिल है, जिसे विवाद मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है।

11. अब जहां तक सुविधा परिषद, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा दिनांक 10.01.2012 के आदेश में की गई टिप्पणियों का संबंध है कि सुविधा परिषद का गठन सीमित उद्देश्य और अधिकारिता के साथ किया गया है और परिषद को पूरी तरह से जांच करने और साक्ष्य लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, उपरोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की योजना के अनुसार, सुविधा परिषद की दोहरी भूमिका है, एक धारा 18 की उप-धारा (2) के अनुसार सुलहकर्ता के रूप में और उसके बाद धारा 18 की उप-धारा (3) के अनुसार मध्यस्थ के रूप में सुलह असफल होने की स्थिति में। एक सुलहकर्ता के रूप में सुलहकर्ता-सुविधा परिषद की भूमिका, जैसा कि ऊपर देखा गया है, पक्षों को उनके विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के प्रयास में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सहायता करना है और उस स्तर पर सुविधा परिषद को विवाद का निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। उस स्तर पर सुविधा परिषद के पास पूरी तरह से जांच करने और साक्ष्य लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालांकि, एक बार जब सुलह विफल हो जाती है और सुलह के दौरान समझौता नहीं होता है और उसके बाद जब धारा 18 की उप-धारा (3) के अनुसार मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू होती है, तो मध्यस्थ के रूप में परिषद के पास मध्यस्थ की सभी शक्तियां होंगी जो मध्यस्थता अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपलब्ध हैं। इसलिए सुविधा परिषद का यह कहना सही नहीं है कि परिषद को पूरी तरह से जांच करने और साक्ष्य लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और परिषद का गठन सीमित उद्देश्य और अधिकार क्षेत्र के साथ किया गया है।

12. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सुविधा परिषद, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा दिनांक 10.01.2012 को मामले संख्या 26/धातु स्क्रैप व्यापार निगम/2009 में पारित आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (ग) 2012 की

संख्या 418 में पारित विवादित निर्णय और आदेश को अपास्त कर दिया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सुविधा परिषद, छत्तीसगढ़, रायपुर को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 18 के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद और ऊपर की गई टिप्पणियों के अनुसार कानून के अनुसार और अपने स्वयं के गुण-दोष पर मामले संख्या 26/ धातु स्क्रैप व्यापार निगम/2009 का नए सिरे से निर्णय लेने के लिए मामला प्रेषित किया जाता है। चूंकि विवाद बहुत पुराना है, इसलिए सुविधा परिषद को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

लंबित आवेदन, यदि कोई निपटाया जाता है।

अंकित ज्ञान मामला वापस भेज दिया गया।

दिब्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।